क्रम संख्या– 120 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 10 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 19, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 229/विधायी एवं संसदीय कार्य/26(1)2016

देहरादून, 10 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को दिनांक 05 अगस्त, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के जीवन स्तर के सुधार करने, इन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने, अध्यासित भू–खण्डों के विनियमितिकरण एवं जहां आवश्यक हो, उनका पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन की कार्यवाही किये जाने तथा भविष्य में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 है।

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा राज्य की समस्त नागर निकायों में लागू होगा।

परिभाषा

2. **''बस्ती''** से नागर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जहां अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौमिक अधिकारों के अभाव के कारण जहां स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो तथा जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हों।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

3. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समयय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

नियम बनाने की शक्ति

4. राज्य सरकार मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, मूल्य/शुल्क का निर्धारण तथा भविष्य में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने के लिए संगत विषयों में अपनी अधिकारिता के अधीन नियम बनाने की ऐसी शक्ति ऐसी होगी जैसा विहित की जाय।

निषेध तथा दण्ड

5. राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित मलिन बस्तियों को छोड़कर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् बसने वाली मलिन बस्तियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगी तथा इन बस्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बसने एवं बसाने में सहयोग करने वाले के विरूद्ध इस कृत्य के लिए 06 माह के कारावास का दण्ड का भागीदार होगा तथा अवैध कब्जेधारक से प्रतिदिन रू0 500/– अर्थ दण्ड भी वसूला जायेगा।

यह भी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मलिन बस्तियों में दिनांक 11.

03.2016 के पश्चात् कोई व्यक्ति/परिवार अध्यासन करता है अथवा कराता है और अधिसूचित मलिन बस्तियों में बन्दोबस्त/पुनर्वास/पुनर्व्यस्थापन के पश्चात् अवैध रूप से अध्यासन करता है अथवा कराता है तो उपरोक्तानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

6. इस अधिनियम के, या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया प्रतीत होने वाला कोई कार्य, यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई सिविल या फौजदारी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

इस अधिनियम के किसी प्रावधानों के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति या अन्य हानि के सम्बंध में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या कोई दूसरी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

The Uttrakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016

[Uttrakhand Act No. 18 Of 2016]

An
Act

for reform, regulations, rehabilitations and resettlement of the Slums in the Urban bodies of the State of Uttarkhand

It is hereby enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of publication in official Gazette and shall be applicable in all the urban local bodies.

Definition

2. **'Slum'** shall mean those areas located within the local body which due to overcrowding, unplanned construction, lack of basic infrastructure and lack of tenurial rights are unfit for human habitation for reasons of health and security and for the above any one or a combination of factors have been notified by the State Government.

Act to have overriding effect

3. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to make rules

4. The State Government have such powers to make rules under his jurisdiction in relevant subject for reform, Regularization, rehabilitations and resettlement of the Slums as may be prescribed.

Prohibition and Punishment

5. Except for the slums notified by the State Government under this Act, any settlement after 11 March, 2016 shall be completely prohibited. Any person directly or indirectly associated with settling or assisting in settling in such slums shall be punished with six months of imprisonment and an amount of Rs 500/- per day shall be recovered from the illegal occupier.

If any person/ family settles or assists in settling any other person/ family in the slums notified by the State Government after 11 March 2016 or if any person/ family settles illegally or assists in settling any other person/family in the slums which have been settled by bandobast / relocated or resettled by the State Government shall

be punishable with the above sentence.

Protection of action taken under this Act

6. No officer or servant of the Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to be done under this Act or under any rues made thereunder, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or the discharge of functions, imposed by or under this Act.

No Suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.